न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 42/बी–121/2015–16

: आदेश ::

(आज दिनांक 23/04/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर तहसीलदार तहसील अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से अनुशंसा सहित प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 01.03.2016 को घटनास्थल ग्राम अजन्दा मे सड़क दुर्घटना (ट्रेक्टर ट्राली पलटने से) होने पर रतनीया पिता केगला निवासी सेजगॉव व चमारीया पिता कनसिंह निवासी सेजगॉव तहसील अलीराजपुर की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000–15,000/–(पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क.	मृतक व्यक्तियो के नाम	वारिशान का नाम	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	श्री रतनिया पिता केगला निवासी सेजगॉव	श्री वेस्ता पिता रतनिया निवासी सेजगॉव	15,000/–
2	चमारिया पिता कनसिंह निवासी सेजगॉव	श्रीमति सुरबाई पति चमारिया निवासी सेजगॉव	15,000/–
	कुल योग		30,000/–

तहसीलदार अलीराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिर्पोट एवं पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वारिशानों को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/ एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना मे मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

S/d–

(शेखर वर्मा)

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक 23/04/16

पृ0क/309/रीडर/2016

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर

3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर। (बैकं खाते की छायाप्रति संलग्न)

4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर।

5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

6 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर।

7 संबंधित .... निवासी ग्राम सेजगॉव तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

NIB.